रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062025-264141
CG-DL-E-25062025-264141

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2792] नई दिल्ली, बुधवार, जून 25, 2025/आषाढ़ 4, 1947
No. 2792] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 25, 2025/ASHADHA 4, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2025

(आयकर)

का.आ. 2858(अ).— चूंकि, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचाव और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारतीय गणराज्य और ओमान सल्तनत के बीच करार को संशोधित करने वाले एक प्रोटोकॉल पर दिनांक 27 जनवरी, 2025 को मस्कट में हस्ताक्षर किए गए थे, जैसा कि इस अधिसूचना के अनुबंध (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रोटोकॉल के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) में निर्धारित किया गया है;

और जबकि, उक्त प्रोटोकॉल दिनांक 28 मई, 2025 को लागू हुआ, जो कि अनुच्छेद 15 के पैरा 2 के अनुसार, उक्त प्रोटोकॉल के लागू होने के लिए संविदाकारी राज्यों के संबंधित कानूनों द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने की अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख है;

और जबकि, उक्त प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 के पैराग्राफ 3 के उप-पैरा (क) में यह प्रावधान किया गया है कि इस करार के प्रावधान भारत में इसके बाद प्रोटोकॉल के लागू होने की तारीख के बाद अप्रैल के पहले दिन या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में लागू होंगे;

अतः अब, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 90 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि उक्त करार और प्रोटोकॉल के सभी प्रावधान, जैसा कि इसके साथ संलग्न है, भारत संघ में लागू होंगे।

अनुबंध

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

और

ओमान सल्तनत की सरकार

के बीच करार में संशोधन प्रोटोकॉल

भारत गणराज्य की सरकार और ओमान सल्तनत की सरकार,

दोहरे कराधान के परिहार और आय पर करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए 2 अप्रैल 1997 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित भारत गणराज्य और ओमान सल्तनत के बीच करार को संशोधित करने के लिए एक प्रोटोकॉल संपन्न करने की इच्छा रखते हुए (जिसे आगे "करार" कहा जाएगा)।

निम्नानुसार सहमति हुई है:

अनुच्छेद 1

करार की प्रस्तावना के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

" भारत गणराज्य की सरकार और ओमान सल्तनत की सरकार,

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए एक करार करने की इच्छा रखते हुए;

कर अपवंचन या परिहार के माध्यम से गैर-कर या कम कराधान के अवसर पैदा किए बिना इस करार द्वारा शामिल किए गए करों के संबंध में दोहरे कराधान को खत्म करने का इरादा रखते हुए (तीसरे राज्यों के निवासियों के अप्रत्यक्ष लाभ के लिए इस करार में प्रदान की गई राहत प्राप्त करने के उद्देश्य से संधि-खरीदारी व्यवस्था के माध्यम से);

निम्नानुसार सहमति हुई है:"

अनुच्छेद 2

करार के अनुच्छेद 2 (आच्छादित कर) के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (ख) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

" ओमान सल्तनत में : आयकर;

(इसके बाद इसे "ओमानी कर" कहा जाएगा);"

अनुच्छेद 3

1. करार के अनुच्छेद 3 (सामान्य परिभाषाएँ) के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (ड.) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

" भारत के मामले में "सक्षम प्राधिकारी" शब्द का तात्पर्य भारत सरकार के वित्त मंत्री या उनके अधिकृत प्रतिनिधि से है; और ओमान सल्तनत के मामले में कर प्राधिकरण के अध्यक्ष या उनके अधिकृत प्रतिनिधि से है।"

2. करार के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (छ) (ii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"ओमान सल्तनत के मामले में , 'कर वर्ष' जैसा कि उसके आयकर कानून में परिभाषित किया गया है;"

अनुच्छेद 4

करार के अनुच्छेद 4 (व्यष्टि) के पैराग्राफ 3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"जहां किसी व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का व्यष्टि है, वहां संविदाकारी राज्यों के सक्षम अधिकारी आपसी सहमति से यह निर्धारित करने का प्रयास करेंगे कि इस करार के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्ति को किस संविदाकारी राज्य का व्यष्टि माना जाएगा, जिसमें उसके प्रभावी प्रबंधन का स्थान, वह स्थान जहां वह निगमित है या अन्यथा गठित है और कोई अन्य प्रासंगिक कारक शामिल हैं। ऐसे करार के अभाव में, ऐसा व्यक्ति इस करार द्वारा प्रदान की गई किसी भी राहत या कर छूट का हकदार नहीं होगा, सिवाय उस सीमा तक और ऐसे तरीके से जिस पर संविदाकारी राज्यों के सक्षम अधिकारियों द्वारा सहमति व्यक्त की जा सकती है।"

अनुच्छेद 5

करार के अनुच्छेद 8 (वायु परिवहन) के पैराग्राफ 5 को हटा दिया जाएगा।

अनुच्छेद 6

1. अनुच्छेद 10 (संबद्ध उद्यम) का मौजूदा पाठ पैराग्राफ 1 के रूप में क्रमांकित किया जाएगा।

2. अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ 1 के बाद पैराग्राफ 2 के रूप में निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा जाएगा:

"2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभ में शामिल करता है - और तदनुसार कर लगाता है - ऐसे लाभ जिन पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और इस प्रकार शामिल किए गए लाभ वे लाभ हैं जो पहले उल्लेखित राज्य के उद्यम को प्राप्त होते यदि दो उद्यमों के खच की शर्तें वही होतीं जो स्वतंत्र उद्यमों के खच होतीं, तो वह दूसरा राज्य उन मुनाफ़ों पर लगाए गए कर की राशि में उचित समायोजन करेगा। ऐसे समायोजन का निर्धारण करते समय, इस करार के अन्य प्रावधानों पर उचित ध्यान दिया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम अधिकारी एक दूसरे से परामर्श करेंगे।"

अनुच्छेद 7

करार के अनुच्छेद 13 (रॉयल्टी) के पैराग्राफ 2 में, '15 प्रतिशत' शब्द को 'दस प्रतिशत (10%)' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

अनुच्छेद 8

करार के अनुच्छेद 14 (तकनीकी शुल्क) के पैराग्राफ 2 में, '15 प्रतिशत' शब्द को 'दस प्रतिशत (10%)' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

अनुच्छेद 9

1. करार के अनुच्छेद 25 (दोहरे कराधान से बचाव) के पैराग्राफ 4 को हटा दिया जाएगा।

2. करार के अनुच्छेद 25 के पैराग्राफ 5 को पैराग्राफ 4 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा।

अनुच्छेद 10

अनुच्छेद 25 के बाद निम्नलिखित नया अनुच्छेद 25क जोड़ा जाएगा:

"अनुच्छेद 25क

गैर-भेदभाव

1. किसी संविदाकारी राज्य के नागरिकों को दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी ऐसे कराधान अथवा उससे जुड़ी किसी आवश्यकता के अधीन नहीं रखा जाएगा, जो उस कराधान और उससे जुड़ी आवश्यकताओं से भिन्न अथवा अधिक बोझिल हो, जिसके अधीन उस दूसरे राज्य के नागरिक समान परिस्थितियों में, विशेष रूप से निवास के संबंध में, हैं

अथवा हो सकते हैं। यह प्रावधान, अनुच्छेद 1 के प्रावधानों के बावजूद, उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी नहीं हैं।

2. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थापित स्थायी प्रतिष्ठान पर लगाया जाने वाला कराधान, उसी राज्य में उसी प्रकार की गतिविधियों को संचालित करने वाले दूसरे राज्य के उद्यमों पर लगाए जाने वाले कराधान से कम अनुकूल नहीं होगा। इस प्रावधान को किसी संविदाकारी राज्य द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को नागरिक स्थिति अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण कराधान के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्तिगत भत्ता, राहत और कटौतियां प्रदान करने के लिए बाध्य करने के रूप में नहीं समझा जाएगा, जो वह अपने निवासियों को प्रदान करता है। इस प्रावधान को किसी संविदाकारी राज्य को पहले उल्लेखित राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य की किसी कंपनी द्वारा स्थापित स्थायी प्रतिष्ठान के मुनाफे पर कर की ऐसी दर से अधिक कर लगाने से रोकने के रूप में नहीं समझा जाएगा, जो पहले उल्लिखित संविदाकारी राज्य की किसी समान कंपनी के मुनाफे पर लगाए जाने वाले कर की दर से अधिक है, न ही इसे अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के प्रावधानों के साथ संघर्ष में माना जाएगा।

3. सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ 1, अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 7, अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 6 और अनुच्छेद 14 के पैराग्राफ 6 के प्रावधान लागू होते हैं, एक

   संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को दिए गए ब्याज, रॉयल्टी, तकनीकी शुल्क और अन्य संवितरण, ऐसे उद्यम के कर योग्य लाभ का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए, उन्हीं शर्तों के अधीन कटौती योग्य होंगे जैसे कि वे पहले उल्लिखित राज्य के निवासी को भुगतान किए गए हों।

4. किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम, जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः, दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा अधिक निवासियों के स्वामित्व में अथवा उनके नियंत्रण में है, प्रथम वर्णित संविदाकारी राज्य में किसी ऐसे कराधान अथवा उससे संबंधित किसी अपेक्षा के अधीन नहीं होंगे जो उन कराधान और संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक बोझिल हो जिनके अधीन प्रथम वर्णित राज्य के अन्य समान उद्यम हैं अथवा हो सकते हैं।

5. इस अनुच्छेद के प्रावधान केवल उन करों पर ही लागू होंगे जो इस करार के अंतर्गत आते हैं।

अनुच्छेद 11

करार के अनुच्छेद 26 (पारस्परिक करार प्रक्रिया) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

1. जहां कोई व्यक्ति यह मानता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप उस पर इस करार के प्रावधानों के अनुसार कराधान नहीं होगा, तो वह उन राज्यों के घरेलू कानून द्वारा प्रदान किए गए उपायों पर ध्यान दिए बिना, उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका वह निवासी है अथवा, यदि उसका मामला अनुच्छेद 25क के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है, तो उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, जिसका वह नागरिक है। मामले को करार के प्रावधानों के अनुसार कराधान नहीं होने के परिणामस्वरूप कार्रवाई की पहली अधिसूचना से तीन वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2. सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित प्रतीत होती है और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक समाधान पर पहुंचने में सक्षम नहीं है, तो वह दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ आपसी सहमति से मामले को हल करने का प्रयास करेगा , ताकि करार के अनुसार न होने वाले कराधान से बचा जा सके। किसी भी करार पर पहुंचने पर उसे संविदाकारी राज्यों के घरेलू कानून में किसी भी समय सीमा के बावजूद लागू किया जाएगा।

3. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी करार की व्याख्या अथवा उसके अनुप्रयोग के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई अथवा संदेह को आपसी सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे । वे करार में प्रावधान न किए गए मामलों में दोहरे कराधान को समाप्त करने के लिए भी आपस में परामर्श कर सकते हैं।

4. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पूर्ववर्ती अनुच्छेदों के अर्थ में किसी करार पर पहुंचने के उद्देश्य से एक दूसरे के साथ सीधे संवाद कर सकते हैं।"

अनुच्छेद 12

करार के अनुच्छेद 27 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"अनुच्छेद 27

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी जानकारी (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो इस करार के प्रावधानों अथवा संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनीतिक उपविभागों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से लगाए गए हर प्रकार और विवरण के करों से संबंधित घरेलू कानूनों के कार्यान्वयन के लिए पूर्वानुमानित रूप से प्रासंगिक है, जब तक कि इसके तहत कराधान करार के विपरीत न हो। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

2. किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जैसे उस राज्य के घरेलू कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना को गुप्त माना जाता है और इसका खुलासा केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालय और प्रशासनिक निकायों सहित) के समक्ष किया जाएगा जो अनुच्छेद 1 में निर्दिष्ट करों के संबंध में निर्धारण अथवा संग्रह, प्रवर्तन अथवा अभियोजन, अपीलों के निर्धारण अथवा उपर्युक्त की निगरानी से संबंधित हैं। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे उद्देश्यों के लिए करेंगे। वे सार्वजनिक अदालती कार्यवाही में अथवा न्यायिक निर्णयों में सूचना का खुलासा कर सकते हैं। पूर्वगामी होने के बावजूद, किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है यदि ऐसी सूचना का उपयोग दोनों राज्यों के कानूनों के अंतर्गत ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता हो और आपूर्ति करने वाले राज्य का सक्षम प्राधिकारी ऐसे उपयोग को अधिकृत करता हो ।

3. किसी भी मामले में पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जाएगी कि वे किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व थोपें:

   क. उस अथवा अन्य संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथाओं के विपरीत प्रशासनिक उपाय करना;

   ख. ऐसी जानकारी (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों सहित) प्रदान करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन के सामान्य क्रम में प्राप्त नहीं की जा सकती है;

   ग. ऐसी सूचना प्रदान करना जो किसी व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक रहस्य अथवा व्यापार प्रक्रिया का खुलासा करती हो, अथवा ऐसी सूचना जिसका खुलासा सार्वजनिक नीति (सार्वजनिक नीति) के विपरीत हो।

4. यदि इस अनुच्छेद के अनुसार किसी संविदाकारी राज्य द्वारा सूचना का अनुरोध किया जाता है, तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोधित सूचना प्राप्त करने के लिए अपने सूचना एकत्रित करने के उपायों का उपयोग करेगा, भले ही उस दूसरे राज्य को अपने कर उद्देश्यों के लिए ऐसी सूचना की आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, लेकिन किसी भी मामले में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि कोई संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना प्रदान करने से मना कर सकता है क्योंकि उसका ऐसी सूचना में कोई घरेलू हित नहीं है।

5. किसी भी मामले में अनुच्छेद 3 के प्रावधानों की यह व्याख्या नहीं की जाएगी कि यह संविदाकारी राज्य को सूचना देने से केवल इसलिए इंकार करने की अनुमति देता है क्योंकि वह सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, नामित व्यक्ति अथवा एजेंसी अथवा न्यासीय क्षमता में कार्यरत व्यक्ति के पास है अथवा क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वामित्व हितों से संबंधित है।"

अनुच्छेद 13

करार के अनुच्छेद 27 के तुरंत बाद निम्नलिखित नए अनुच्छेद 27क और 27ख सम्मिलित किए जाएंगे:

" ***अनुच्छेद 27क***

करों के संग्रह में सहायता

1. संविदाकारी राज्य राजस्व दावों के संग्रह में एक-दूसरे को सहायता प्रदान करेंगे। यह सहायता अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी आपसी सहमति से इस अनुच्छेद के लागू होने के तरीके को तय कर सकते हैं।

2. इस अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द "राजस्व दावा" का अर्थ है संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनीतिक उपविभागों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार और वर्णित करों के संबंध में बकाया राशि, जहां तक उसके अंतर्गत कराधान इस करार अथवा किसी अन्य दस्तावेज के प्रतिकूल न हो, जिसके संविदाकारी राज्य पक्षकार हों, साथ ही ऐसी राशि से संबंधित ब्याज, प्रशासनिक दंड और संग्रहण अथवा संरक्षण की लागत।

3. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा उस राज्य के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय हो और उस पर किसी ऐसे व्यक्ति का बकाया हो जो उस समय उस राज्य के कानूनों के तहत उसके संग्रह को रोक नहीं सकता, तो उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संग्रह के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा। उस राजस्व दावे को उस दूसरे राज्य द्वारा अपने स्वयं के करों के प्रवर्तन और संग्रह पर

   लागू अपने कानूनों के प्रावधानों के अनुसार एकत्र किया जाएगा जैसे कि राजस्व दावा उस दूसरे राज्य का राजस्व दावा हो।

4. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा ऐसा दावा है जिसके संबंध में वह राज्य अपने कानून के तहत उसके संग्रह को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण के उपाय कर सकता है, तो उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा। वह दूसरा राज्य अपने कानूनों के प्रावधानों के अनुसार उस राजस्व दावे के संबंध में संरक्षण के उपाय करेगा जैसे कि राजस्व दावा उस दूसरे राज्य का राजस्व दावा हो, भले ही ऐसे उपायों को लागू करने के समय राजस्व दावा पहले उल्लिखित राज्य में प्रवर्तनीय न हो अथवा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बकाया हो जिसे उसके संग्रह को रोकने का अधिकार है।

5. पैराग्राफ 3 और 4 के प्रावधानों के बावजूद, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनों के लिए किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किया गया राजस्व दावा, उस राज्य में, उस राज्य के कानूनों के तहत राजस्व दावे के लिए लागू समय सीमा के अधीन नहीं होगा अथवा उसे कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनों के लिए किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किया गया राजस्व दावा, उस राज्य में, दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत उस राजस्व दावे के लिए लागू कोई प्राथमिकता नहीं रखेगा।

6. किसी संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे के अस्तित्व, वैधता अथवा राशि के संबंध में कार्यवाही केवल उस राज्य के न्यायालयों अथवा प्रशासनिक निकायों के समक्ष ही लाई जाएगी। इस अनुच्छेद में किसी भी बात को दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक निकाय के समक्ष ऐसी कार्यवाही करने का किसी अधिकार का सृजन करने अथवा अधिकार प्रदान करने के रूप में नहीं समझा जाएगा।

7. जहां, किसी भी समय अनुच्छेद 3 अथवा 4 के अंतर्गत किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने के पश्चात् तथा दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा संबंधित राजस्व दावे को एकत्रित करके प्रथम वर्णित राज्य को प्रेषित किए जाने से पूर्व, संबंधित राजस्व दावा समाप्त हो जाता है।

   क. अनुच्छेद 3 के तहत अनुरोध के मामले में, पहले उल्लिखित राज्य का राजस्व दावा जो उस राज्य के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय है और उस व्यक्ति द्वारा बकाया है, जो उस समय, उस राज्य के कानूनों के तहत, उसके संग्रह को रोक नहीं सकता है, अथवा

   ख. अनुच्छेद 4 के अधीन अनुरोध के मामले में, प्रथम उल्लिखित राज्य का राजस्व दावा जिसके संबंध में वह राज्य अपने कानूनों के अधीन, उसके संग्रह को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण के उपाय कर सकता है, प्रथम उल्लिखित राज्य का सक्षम प्राधिकारी तुरंत उस तथ्य के बारे में दूसरे राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा और दूसरे राज्य के विकल्प पर, प्रथम उल्लिखित राज्य उसके अनुरोध को अथवा तो निलंबित कर देगा अथवा वापस ले लेगा।

8. किसी भी स्थिति में इस अनुच्छेद के प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जाएगी कि वे किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व थोपें:

   क. उस अथवा अन्य संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथाओं के विपरीत प्रशासनिक उपाय करना;

ख. ऐसे उपाय करना जो सार्वजनिक नीति (ऑर्ड्रे पब्लिक) के विपरीत हों;

ग. यदि अन्य संविदाकारी राज्य ने अपने कानूनों अथवा प्रशासनिक पद्धति के तहत उपलब्ध संग्रहण अथवा संरक्षण के सभी उचित उपायों को नहीं अपनाया है, तो सहायता प्रदान करना;

घ. उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस राज्य का प्रशासनिक बोझ दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभ से स्पष्ट रूप से असंगत है।

अनुच्छेद 27ख

लाभ की पात्रता

इस करार के अन्य प्रावधानों के बावजूद, इस करार के तहत किसी आय मद के संबंध में लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा यदि सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकालना उचित है कि उस लाभ को प्राप्त करना किसी भी व्यवस्था अथवा लेनदेन का प्रमुख उद्देश्य था, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वह लाभ प्राप्त हुआ, जब तक कि यह स्थापित न हो जाए कि इन परिस्थितियों में उस लाभ को प्रदान करना इस करार के प्रासंगिक प्रावधानों के उद्देश्य और प्रयोजन के अनुसार होगा।"

अनुच्छेद 14

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य और ओमान सल्तनत के बीच 2 अप्रैल 1997 को हस्ताक्षर हुए करार के प्रोटोकॉल को, हटा दिया जाएगा।

अनुच्छेद 15

1. संविदाकारी राज्य राजनयिक माध्यमों से एक दूसरे को इस प्रोटोकॉल के लागू होने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने की लिखित सूचना देंगे।
2. यह प्रोटोकॉल इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में संदर्भित अधिसूचनाओं में से बाद वाली अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख से लागू होगा।
3. इसके बाद प्रोटोकॉल के प्रावधान लागू होंगे:

क. भारत में

प्रोटोकॉल के लागू होने की तारीख के बाद अप्रैल के पहले दिन अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में।

ख. ओमान सल्तनत में

प्रोटोकॉल लागू होने की तारीख के बाद किसी भी कर वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में।

4. यह प्रोटोकॉल तब तक लागू रहेगा जब तक यह करार लागू रहेगा।

जिसके साक्ष्य स्वरूप नीचे हस्ताक्षरकर्ताओं ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत् प्राधिकृत होकर इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

दिनांक 27 जनवरी, 2025 को मस्कट में हिंदी, अंग्रेजी और अरबी भाषाओं में 27 रजब 1446 हिजरी को दो प्रतियों में हस्ताक्षरित किया गया, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। इन पाठों की भिन्न व्याख्या के मामले में, अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

भारत गणराज्य की सरकार के लिए
ओमान सल्तनत में भारतीय गणराज्य के
दूतावास के राजदूत

ओमान सल्तनत की सरकार के लिए
कर प्राधिकरण के अध्यक्ष

[अधिसूचना सं. 69/2025/फा. सं. 501/6/1991- वी.क.प्र.-II]

आँचल खंडेलवाल, निदेशक